फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री शंकरलाल पिता थाना गुर्जर निवासी पारोली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

बनाम

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड़, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

प्रकरण संख्या 57/2018 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षीगण को नोटिस जारी कर दिनांक 27.02.2018 नियत की गई। दिनांक 27.02.18 को विपक्षीया सोहनी स्वयं उपस्थित हुई तथा अधिवक्ता नियुक्त कर अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया तथा सहऋणी शंकरलाल व शिवलाल के नोटिस 8–10 महीने से लापता होने की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुए। उसके पश्चात् दिनांक 08.05.2018 को बिना विपक्षीगण को कोई नोटिस जारी किये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित किया जबकि प्रार्थीगण को कोई द्वितीय सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया ना ही तामील के अन्य माध्यम से ही तामील कराई गई जिससे प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक था। अतः प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण को दो तरफा किया जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को विलम्ब करने के आशय से पेश किया है। सहऋणी शंकरलाल, ऋणी सोहनी का पति है एवं शिवलाल सोहनी का पुत्र है और उक्त सभी व्यक्ति एक ही परिवार के होकर एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सहऋणी शंकरलाल एवं शिवलाल के नोटिस 8–10 महीने से लापता होने की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुए जबकि ऋणी सोहनी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर उक्त दोनो सहऋणी के बाहर मजदूरी करने जाना बताया। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों को प्रकरण की जानकारी थी और सोहनी बाई ने उनको प्रकरण में बारे में अवगत भी कराया लेकिन इसके बाद भी उक्त दोनो सहऋणी नियत पेशी दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और प्रकरण का निस्तारण होने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बेबुनियाद होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। ....लगातार	

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का ऋण खाता एन. पी. ए. हो जाने से विपक्षी वित्तीय संस्था द्वारा अपनी ऋण राशि ऋणी एवं प्रार्थीगण से वसूली हेतु इस न्यायालय में सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत ऋणी/प्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि सरफेसी एक्ट, 2002 में यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी को धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है तो न्यायालय हाजा द्वारा सीधे ही बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाने का धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है फिर भी इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी कर अपना पक्ष रखे जाने हेतु न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया किन्तु दिनांक 27.02.2018 को मुख्य ऋणी श्रीमति सोहनी बाई का नोटिस तो बाद तामील प्राप्त हुआ तथा सहऋणी श्री शंकरलाल एवं शिवलाल का नोटिस 8–10 महीने से लापता होने की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुआ। यहां प्रार्थीगण का कथन है कि दिनांक 08.05.2018 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 08.05.2018 को प्रार्थीगण/सहऋणी श्री शंकरलाल एवं शिवलाल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश नहीं देकर नियत तारीख पेशी पर ऋणी श्रीमति सोहनी बाई एवं उनके अधिवक्ता दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होने से ऋणी श्रीमति सोहनी बाई के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण में मुख्य ऋणी श्रीमति सोहनी बाई है तथा उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया है तथा उसके पश्चात् ऋणी एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 08.05.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। जहां तक सहऋणी को दुबारा नोटिस जारी नहीं करने का कथन है वहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उन्हें नोटिस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा उन्हें नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। मुख्य ऋणी तथा उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वित्तीय संस्था का आवेदन स्वीकार कर सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गई बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश पारित किए गए हैं जो कि विधि–सम्मत् है। सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत इस न्यायालय को गुणावगुण पर सुनवाई के कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है मात्र सीधे ही धारा 14 के तहत बन्धक सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के आदेश दिए जाने के ही अधिकार है। अतः प्रार्थीगण को इस न्यायालय स्तर पर कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण यदि कोई राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो वह डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डी. आर. टी.) में आवेदन प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्षतः

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा. दी. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official